भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2008
सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

रूस-यूक्रेन युद्ध का पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव

†2008. श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री रवि किशनः
श्री सुब्रत पाठकः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारतीय पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत की यात्रा करने वाले रूसी और यूक्रेनी पर्यटकों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पर्यटन क्षेत्र को हुई हानि, रोजगार के अवसरों की हानि और सरकार को हुई कर राजस्व हानि का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रूस और यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए कोई यात्रा परामर्श भी जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का पर्यटन उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट पैकेज की घोषणा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2021 और 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

वर्ष	2021	2022 (अ)
भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन (मिलियन में)	1.52	6.19

अः अनंतिम;

भारत में महामारी के दौरान एफटीए में गिरावट आई है। हालांकि, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान भारत में एफटीए में 305.4% की तीव्र बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष 2020 से 2022 और जनवरी 2023 के दौरान रूस और यूक्रेन से भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	रूस	यूक्रेन
2020	102166	10619
2021	17567	5197
2022 (अ)	95522	6478
जनवरी 2023 (अ)	25843	938

(अ): अनंतिम

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो

(घ): यूक्रेन में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूतावास, कीव, यूक्रेन से प्राप्त सूचना के अनुसार मिशन ने दिनांक 28 फरवरी, 10, 19 और 25 अक्तूबर, 2022 को सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने के लिए ट्रेवल एडवाईजरी जारी की थी और यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी थी। स्थिति अनिश्चित और अस्थिर बनी हुई है।

(ङ): रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र विशिष्ट पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, भारत सरकार ने कोविड के बाद पर्यटन क्षेत्र की बहाली के लिए कई वित्तीय और गैर-वित्तीय राहत उपायों की घोषणा की है जिन्हें अनुबंध में दिया गया है।

****

अनुबंध

पर्यटन क्षेत्र पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के संबंध में दिनांक 13.03.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †2008 के भाग (ङ) के उत्तर में विवरण।

कोविड-19 के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय राहत उपाय निम्नलिखित हैं:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी।
ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए किसी दंडात्मक ब्याज के बिना रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थागित, शेष के लिए @9 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ।
iv. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और बहाली सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।
v. सरकार ने पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और उनके व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता देने के लिए 31.3.2021 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 की घोषणा की। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन तथा लेज़र और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाया गया था। आतिथ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष का प्रावधान भी किया गया है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2023 तक या 5.00 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है।
vi. 28 जून 2021 को, सरकार ने कोविड -19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और वृद्धि तथा रोजगार उपायों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिनमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य पर विशेष फोकस और यात्रा तथा पर्यटन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने' और 'वृद्धि तथा रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।
vii. पर्यटन मंत्रालय ने 'कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएस) के लिए ऋण गारंटी योजना' शुरू की, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र को अपनी देनदारियों का निर्वहन करने और कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित अपने व्यवसायों को फिर से

शुरू करने में मदद करने के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटक परिवहन ऑपरेटर प्रति व्यक्ति 10.00 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते है और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइडों में से प्रत्येक 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्राप्त कर सकते है। यह योजना 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रचालनरत है । इस योजना की वैधता एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक अथवा इस योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक के बढ़ा दी गई है ।

viii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए कोविड -19 और उसके बाद के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।

ix. ऐसे होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

x. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। विदेशों में संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच में वृद्धि की जा सके और पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।

xi. देश में अंतर्गामी पर्यटन को फिर से शुरू करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा नि:शुल्क जारी किए हैं। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रत्येक पर्यटक को केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा।

xii. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए है।

xiii. गृह मंत्रालय ने 156 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए दिनांक 15 मार्च, 2022 से ई-टूरिस्ट वीजा को बहाल किया। इसके अलावा, दुनिया भर में बढ़ते हुए टीकाकरण को देखते हुए और हितधारकों के परामर्श से, भारत सरकार ने दिनांक 27 मार्च, 2022 से भारत के लिए/से अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू किया।

****